न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2019

1. सुक्कन
2. श्रीचन्द पिसराना सल्ला जाति जाटव निवासी ग्राम बरखेडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थीगण

बनाम

1. पांचा पुत्र चैनसुख
2. वचन उर्फ बत्तन
3. सुगना पुत्रीयान चैनसुख जाति जाटव निवासी ग्राम लुहिंगा तहसील पुन्हाना जिला नूँह मेवात हरियाण हाल आबाद ग्राम बरखेडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीगण
2. श्री शीशराम वर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :– 06.01.2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 243/0.49 है0 बांके ग्राम बरखेडा तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी के प्रार्थीगण पूर्व में खातेदार काश्तकार काबिज आराजी थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माँ सोमोती रिश्ते में खास बुआ थी जो काफी गरीबी की हालात में होने की वजह से व उसके पति चैनसुख के द्वारा अपने भाई भतीजो से बच्चो के लालन पालन के लिये रूपयों की मांग करता था।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी एवज में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की माँ को फौरी तरीके बिना प्रतिफल के सोमोती बुआ को बयनामा कराया और उक्त आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण का ही रहेगा तथा आधी फसल प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के माता–पिता को पहुँचाते रहेगे तथा जब कभी वे इस आराजी का बेचान करेगे तो वे प्रार्थीगण को ही वयनामा करेगे तब जाकर अप्रार्थीगण के घर में शान्ति कायम हुई जिसके बाबत एक समझौता पत्र दिनांक 04.07.2007 को अप्रार्थीगण की माता ने तहरीर किया था। प्रार्थीगण का आज भी आराजी पर खातेदार के रूप में कब्जा चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थीगण की बुआ तथा अप्रार्थीगण की माँ के स्वर्गवास होने के समय राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया। जबकि कब्जा काश्त के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम जो राजस्व रिकॉर्ड में उसे कलजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अप्रार्थीगण का नाम होने के बाबजूद नाजायज फायदा उठाने की फिराक में है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 08.07.2019 को ग्राम बरखेडा में धमकी दी है कि मौका मिलने पर हम तुम्हारे कब्जे काश्त के उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करेगे यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल न करे एवं राजस्व रिकॉर्ड, मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी बांके ग्राम बरखेडा तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो काबिले खारिजी है। आराजी मुतदाविया को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की माता सोमोती ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया था तथा उसी वक्त मौके पर कब्जा ले लिया और माता सोमोती स्वयं काश्त करती थी तथा हम काश्त करने में उसकी मदद करते थे माता सोमोती की मौत होने के बाद हम अप्रार्थीगण आज तक आराजी मुतदाविया पर काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें प्रार्थीगण का कभी भी किसी प्रकार का दखल नहीं रहा है। अप्रार्थी की माता ने किसी प्रकार का कोई भी समझौता पत्र लिखकर प्रार्थीगण को नहीं दिया है। प्रार्थीगण ने फर्जी तरीके से समझौता पत्र लिखकर अदालत में पेश किया है। फर्जी समझौता पत्र संविदा एक्ट के तहत शून्य माना जाता है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण कोई रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई धमकी विवादित आराजी की बाबत

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण को नहीं दी है। जब आराजी पर कब्जा काश्त अप्राथीगण है तो धमकी देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। विवादित आराजी से संबन्धित प्रार्थीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है और ना ही किसी प्रकार की क्षति प्रार्थीगण को होती है। अप्रार्थीगण ने कोई धमकी प्रार्थीगण को नहीं दी है और प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट नहीं होती है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड पांचा पुत्र चैनसुख की है। जो कि प्रार्थीगण एवं अन्य से अप्रार्थीगण की माता समौती ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 2007 मे खरीदी थी। जिस पर समौती एवं समौती की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने यह दावा एक समझौता पत्र के आधार पर लाया गया है। जिसमें समौती द्वारा भविष्य मे अगर बैचान किया जाता है। तो प्रार्थीगण को प्राथमिकता रहेगी। समझौता पत्र रजिस्टर्ड नही है। समौती की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण विरासतन राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुये है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार प्रतीत नही होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के समौती की मृत्यु की पश्चात अप्रार्थीगण विधिक वारिसान है। एवं प्रार्थीगण का आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थी सख्यां 01 का इन्द्राज है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण में ही निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)